हिन्दी
(Hindi)

2026
राज्य चुनाव में
नामांकन और मतदान करें

Electoral Commission SOUTH AUSTRALIA

राज्य चुनाव के बारे में

राज्य चुनाव इस बारे में होता है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोग यह चयन कैसे करते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की संसद में कौन आएगा। यह हरेक 4 वर्षों में मार्च के तीसरे शनिवार के दिन होता है।

मैं मतदान के लिए रजिस्टर कैसे कर सकता/ती हूँ?

जब आप अपना नामांकन करते/ती हैं, तो हमारे द्वारा आपका नाम उन लोगों की सूची में दर्ज किया जाता है, जो मतदान कर सकते हैं। जब आप मतदान करते/ती हैं, तो आप यह चयन करते/ती हैं कि संसद में कौन शामिल होगा।

अपने विवरणों का नामांकन करना या इन्हें अपडेट करना आसान है। हमारी वेबसाइट पर जाएँ: ecsa.sa.gov.au
नि:शुल्क कॉल करें: 1300 655 232

आपको मतदान के लिए नामांकन करना अनिवार्य है, यदि:

आपने कम से कम एक महीने के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया में निवास किया है

आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है

आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं

सभी राज्य, संघीय और स्थानीय चुनावों के लिए नामांकन वैध होता है।
यदि आप घर बदलते/ती हैं या अपना नाम बदलते/ती हैं, तो अपने विवरण अपडेट करना याद रखें।

मैं मतदान केंद्र पर मतदान कैसे कर सकता/ती हूँ?

जब आप चाहें, आपके पास मतदान करने के लिए कई सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें मतदान के दिन वोट डालना या समयपूर्व मतदान केंद्र पर जल्दी वोट डालना या डाक से वोट डालने के लिए आवेदन करना शामिल है। चुनाव के दिन मतदान करने का सबसे आसान तरीका अपने निवास के पास स्थित किसी मतदान केंद्र पर मत देना है।

यदि आपको गतिशीलता में बाधा आती है या आप दिव्यांग हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखभाल प्रदान करते/ती हैं जो इन समस्याओं से ग्रस्त है, तो आप मतदान केंद्रों में सुलभता के विवरणों के बारे में ecsa.sa.gov.au पर जांच कर सकते/ती हैं।

मतदान के दिन से पूर्व साउथ ऑस्ट्रेलिया चुनाव आयोग (Electoral Commission of South Australia) आपको एक पत्र भेजेगा, जिसमें निकटतम मतदान केंद्र स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

मतदान करते समय आपको अपने साथ लाने के लिए एक EasyVote कार्ड प्राप्त होगा। आपको मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी ecsa.sa.gov.au पर भी मिल सकती है।

मतदान केंद्र खुलने का समय: मतदान के दिन सुबह 8:00बजे से शाम 6:00बजे तक।

1. जब आप किसी मतदान केंद्र पर जाते/ती हैं, तो आपसे आपका नाम, पता और यह पूछा जाएगा कि *"क्या आपने इस चुनाव में पहले मतदान किया है?"*

आप अपनी पहचान को आसान और त्वरित बनाने के लिए अपना EasyVote कार्ड या आपका नाम और पता दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज ला सकते/ती हैं।

2. मतसूची में आपके नाम की जांच की जाएगी और आपको दो मतपत्र मिलेंगे: एक हाउस ऑफ एसेंबली के लिए (हरा) और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए (सफेद)।

3. मतपत्रों को मतदान क्षेत्र में ले जाएं, जहां आप निजी रूप से अपना मत दे सकते/ती हैं।

आपका मत गोपनीय होता है। लेकिन यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो किसी चुनावकर्मी से पूछें।

4. एक बार जब आप अपने मतपत्रों को पूरा कर लें, तो उन्हें मतपेटियों में डाल दें।

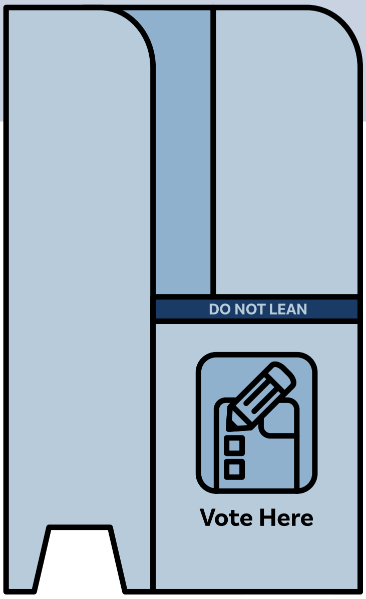

मतपत्र कैसे भरें

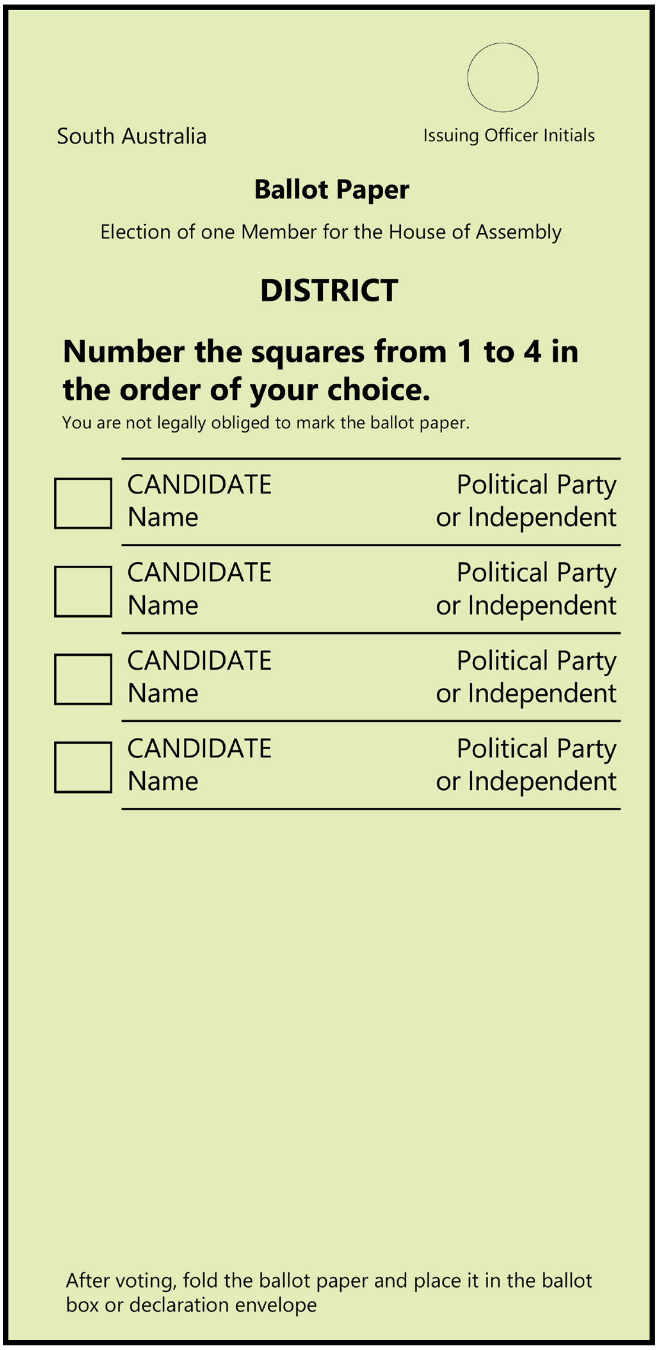
South Australia

Issuing Officer Initials

Ballot Paper

Election of one Member for the House of Assembly

DISTRICT

Number the squares from 1 to 4 in the order of your choice.

You are not legally obliged to mark the ballot paper.

☐	CANDIDATE Name	Political Party or Independent
☐	CANDIDATE Name	Political Party or Independent
☐	CANDIDATE Name	Political Party or Independent
☐	CANDIDATE Name	Political Party or Independent

After voting, fold the ballot paper and place it in the ballot box or declaration envelope

आपको दो मतपत्र मिलेंगे:

1. हाउस ऑफ एसेंबली मतपत्र

1. अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को इंगित करने के लिए उनके सामने दिए गए चौखाने में संख्या 1 लिखें।
2. अपनी दूसरी पसंद के आगे संख्या '2' लिखें।
3. अपनी तीसरी पसंद के आगे संख्या '3' लिखें।

. . . और हरेक चौखाने में संख्याएँ भरने तक इसी तरह से लिखते/ती रहें।

लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो चिंता न करें। गलती के ऊपर एक पंक्ति बनाएं और उसके बगल में सही जानकारी लिखें, या आप किसी चुनाव अधिकारी से इसके बदले में एक नया मतपत्र दिए जाने के लिए आग्रह कर सकते/ती हैं।

यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो हमेशा कर्मियों से सहायता मांगें

2. लेजिस्लेटिव काउंसिल मतपत्र

आप 2 तरीकों से मतदान कर सकते/ती हैं – गहरे रंग की रेखा के ऊपर या रेखा के नीचे - ***लेकिन दोनों नहीं।***

गहरे रंग की रेखा के ऊपर:

यदि आप गहरे रंग की रेखा के ऊपर मतदान करने का विकल्प चुनते/ती हैं:

1. **अपनी पहली पसंद की पार्टी या उम्मीदवारों के समूह के सामने दिए गए चौखाने में संख्या '1' लिखें।**
2. **यदि आप चाहें, तो अपनी दूसरी पसंद के सामने दिए गए चौखाने में संख्या '2' लिखें,** और यह सिलसिला अपनी इच्छानुसार जितना चाहें उतनी पार्टियों या उम्मीदवारों के समूहों के लिए जारी रखें।

आपको प्रत्येक चौखाने में संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। बाकी के मतपत्र को खाली छोड़ दें। गहरे रंग की मोटी रेखा के नीचे निशान न लगाएं।

गहरे रंग की रेखा के ऊपर मतदान करने से आपका मत आपके द्वारा चुने गए समूह (या समूहों) के उम्मीदवारों को जाएगा।

South Australia, 2026 Election

Ballot Paper for the Election of 11 Legislative Councillors

You may vote in one of two ways. You are not legally obliged to mark the ballot paper.

If you vote ABOVE the line

If you vote above the line write the number 1 in the square next to the group of your choice. You can show more choices if you want to by writing numbers in other squares starting with the number 2.
Do not write any numbers below the line.

A	B	C	D	E
☐ Environment First Party	☐ Shine Australia	☐ The People's Party	☐ Farmer's Alliance	☐ Southern Cross Party

OR

If you vote BELOW the line

If you vote below the line write the numbers 1 to 12 in the squares next to the names of the candidates in the order of your choice. You can show more choices if you want to by continuing to write numbers in more squares. You don't need to write a number in every square.
Do not write any numbers above the line.

A	B	C	D	E
☐ Lauren Hall	☐ Finn Robinson	☐ Anita Holland	☐ Winston Barker	☐ Naomi Lee
☐ Tony Matic	☐ Latika Fischer	☐ Joshua McCall	☐ Nina Harris	☐ Felix Barker
☐ Jane Nguyen	☐ Andy McMahon	☐ Imane Caskey	☐ John Thompson	☐ Jennie Rodriguez
☐ Oliver Bloom	☐ Helen Park	☐ Ahren Patel	☐ Rachel McKinnon	☐ Rory Lane
☐ Sasha Crown	☐ James Ludwig	☐ Vanessa Hollow	☐ Jeremy Choi	☐ Katrina Sebastian
☐ Travis Alves	☐ Ophelia Knight	☐ Porter Smith	☐ Courtney Wilson	☐ Noah Stringer

Issuing Officer Initials

After voting, fold the ballot paper and place it in the ballot box or in the envelope provided.

गहरे रंग की रेखा के नीचे:

यदि आप गहरे रंग की रेखा के नीचे मतदान करने का विकल्प चुनते/ती हैं:

1. **अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के बगल के चौखाने में संख्या '1' लिखें।**
2. **अपनी दूसरी पसंद के उम्मीदवार के बगल के चौखाने में संख्या '2' लिखें।**
3. ***कम से कम 12* उम्मीदवारों का चयन कर लेने तक अपनी पसंद के अन्य उम्मीदवारों के बगल के चौखाने में संख्याएँ 3, 4, 5, 6 लिखते रहें।**

आप 12 से अधिक उम्मीदवारों के लिए संख्याएँ लिखना भी चुन सकते/ती हैं।

यदि मैं मतदान केंद्र में नहीं जा सकता/ती हूँ, तो क्या होगा?

यदि आप मतदान केंद्र में नहीं जा सकते/ती हैं, या यदि आप राज्य के बाहर होंगे/गी, तो मतदान करने के अन्य तरीके हैं।

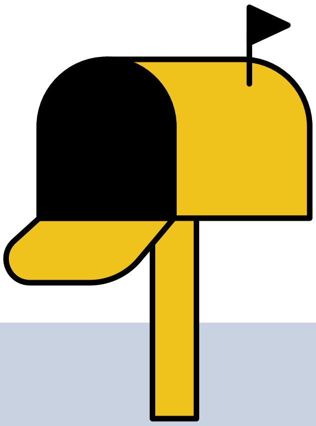

डाक से मतदान

आप पोस्टल वोट आवेदन पत्र पूरा करके खुद को मतपत्र भेजे जाने का अनुरोध कर सकते/ती हैं। यह चुनाव से **लगभग छह सप्ताह पहले** उपलब्ध होगा।

हमारी वेबसाइट पर जाएँ: ecsa.sa.gov.au

नि:शुल्क कॉल करें: 1300 655 232

साउथ ऑस्ट्रेलिया चुनाव आयोग (Electoral Commission of South Australia) आपके आवेदन पर काम करेगा और मतदान से लगभग दो सप्ताह पहले मतपत्र भेजना शुरू कर देगा।

साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्थित लोगों के लिए: पोस्टल वोट का अनुरोध करने की समय सीमा मतदान के दिन से 8 दिन पूर्व है।

साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित लोगों के लिए: पोस्टल वोट का अनुरोध करने की समय सीमा मतदान के दिन से 4 दिन पूर्व है।

अपने मतपत्र मिल जाने पर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें और वापस भेज दें।

मतदान कर्मचारी मतदान के दिन से पहले और उस दिन कुछ अस्पतालों और नर्सिंग होम का दौरा करते हैं।

किसी अन्य राज्य में होने पर मतदान करना

ऑस्ट्रेलिया के हरेक राजधानी शहर में समयपूर्व मतदान केंद्र उपलब्ध होंगे। समयपूर्व मतदान केंद्रों के स्थल देखने के लिए हमें कॉल करें या हमारी वेबसाइट पर जाएँ।

हमारी वेबसाइट पर जाएँ: ecsa.sa.gov.au

नि:शुल्क कॉल करें: 1300 655 232

कमजोर नज़र और शारीरिक हानि वाले लोगों के लिए टेलीफोन से मतदान

अब शारीरिक हानि वाले लोगों, अथवा दृष्टिहीन या कमजोर नज़र वाले लोगों के लिए टेलीफोन मतदान सहायता भी उपलब्ध है।

क्या आपको दुभाषिए की आवश्यकता है?
यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस नेशनल) को 131 450 पर कॉल करें और 1300 655 232 पर साउथ ऑस्ट्रेलिया चुनाव आयोग (Electoral Commission of South Australia) से संपर्क कराए जाने के लिए कहें।

कार्यकाल: सोमवार-शुक्रवार | सुबह 9:00बजे से शाम 5:00बजे तक

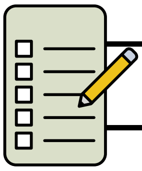

महत्वपूर्ण – मतदान करना अनिवार्य है। यदि आप मतदान नहीं करते/ती हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि आप मतदान करने में असमर्थ हैं, तो ECSA से 1300 655 232 पर संपर्क करें।